

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपकम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 3256 औस / पाकालि / 2010-11(1)ए०एस० / 2009

दिनांक: 4 अगस्त, 2010

कार्यालय - ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत / सेवानिवृत्त कर्मचारियों / अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तों एवम् कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरों जो कारपोरेशन के वेबसाइट www.uppcl.org-Personnel पर उपलब्ध है, के अधीन कारपोरेशन के आदेश संख्या-4452-औस-17 / पाकालि / 2009, दिनांक 09.12.2002 सपष्टित आदेश संख्या-3593-औस-17 / पाकालि / 2003, दिनांक 21.07.2003 में निहित प्राविधानों / मानकों के अन्तर्गत लोक प्रिय हास्पिटल, निकट अम्बर सिनेमा, जी०टी० रोड, मोदीनगर-201201 (दूरभाष नं०-01232-24755, 247556, फैक्स सं०-01232-229500) को एतद्वारा दिनांक 31.03.2012 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या-2088-एन०जी०-२ / एस०ई०बी०(चार)'२९-एन०जी०-२ / ७८, दिनांक 24.05.78 में निहित प्राविधानों एवम् शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा।

- 1- अस्पताल को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।
- 2- चिकित्सालय को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि "उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 31.03.2012 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय"।
- 3- चिकित्सालय को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में अस्पताल को निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन के मुख्य चिकित्साधिकारी, शक्ति भवन को भेजना होगी :-
- (क) रोगी का नाम / पदनाम / वेतनमान / नियुक्ति स्थान / आयु एवम् लिंग।
(ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।
(ग) अस्पताल में भर्ती होने एवम् डिस्चार्ज होने की तिथि।
(घ) कार्मिक का वेतनमान।
(ङ) रोग का नाम (डाइग्नोसिस)।
(च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।
- 4- कारपोरेशन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह कारपोरेशन की बेब साइट www.uppcl.org - Personnel पर दर्शायी गयी दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।

.....2/-



- 5— यदि अस्पताल द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो अस्पताल के बीजकों में भोजन की मद हेतु रु0 50/- प्रतिदिन की कटौती कर ली जाएगी ।
- 6— निर्धारित / अनुमोदित दरों से विचलित होने पर सम्बन्धित चिकित्सालय की मान्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी ।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या: 3256-(1) औस/पाकालि/2010—तददिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :—

- 1— अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
- 2— अपर प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ ।
- 3— निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त), महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ ।
- 4— प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वाञ्चल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर ।
- 5— अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति—प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिं0 ।
- 6— मुख्य अभियन्ता (जल—विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ ।
- 7— समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, को उपलब्ध करा दें ।
- 8— समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।
- 9— समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवम् लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।
- 10— समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव—प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।
- 11— अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0—407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Personnel पर लोड करने हेतु ।
- 12— प्रबन्धक, लोक प्रिय हास्पिटल, निकट अम्बर सिनेमा, जी0टी0 रोड, मोदीनगर ।
- 13— सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ ।
- 14— कट फाइल ।

10/01/10
 (कौशल चन्द्र सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी